

फर्द अहकाम

श्रीकालाल बनाम श्रेष्ठा

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल

केस सं० ५५/१६

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
३१/०१/२५		<p>पतावली पेश करी उत्तर पक्ष० अभिकर्ता उप० हैं। अस्थायी निषेधाज्ञा प्र० पत्र पर उत्तर पक्ष० की वस्तु छुनी गई। पतावली के अवलोकन वस्तु के कोषार पर सूची दे जारी क्र-गरीफ अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल अवधि के निस्तारण तक फुट्ट क-फर्म किया जात है। पतावली फौजल शुद्धार होत है फरल दाखिल हो एल नम्बर है कल हो फौजला सुले न्यायालय पे फुजला गला।</p>	
		<p>उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल</p>	